

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 349 /2022

उनवान

- 1-4 सत्यप्रकाश, देबीलाल, रामेश्वर, शंकर पिता राधाकिशन धाकड़ निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- मु. रामप्यारी पत्नी राधाकिशन धाकड़ निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- मु. लाली पुत्री राधाकिशन

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1-3 शुभम, आकांशा, नितिकेश पिता गजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरक्षिका माता मु. साधना पत्नी गजेन्द्र ब्राह्मण निवासी शाहपुरा
- 4- मु. सिलोना बेगम पत्नी मोहब्बत अली निवासी फूलिया गेट बाहर शाहपुरा
- 5- कैलाश पिता कन्हैयालाल धाकड़ निवासी कलिंजरी गेट बाहर धाकड़ मोहल्ला शाहपुरा
- 6- शंकर पिता सूरजमल धाकड़ निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7-8 देवेन्द्र, लोकेन्द्र कुमार पिता विद्याधर ब्राह्मण निवासी महलों के पीछे, शाहपुरा
- 9- मोडूलाल पिता सूरजमल धाकड़ लोकेन्द्र कुमार निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- महावीर प्रसाद पिता बालूराम सुखवाल निवासी महलों के पीछे शाहपुरा
- 11- रामलाल पिता मोहनलाल कुमावत निवासी कुम्हार मोहल्ला, कलिंजरी गेट शाहपुरा
- 12- रामजस पिता मदन धाकड़ निवासी गोपालपुरा ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा

विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री नमन ओझा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 28.09.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 10353/3776 रकबा 0.16 है०, 10355/3778 रकबा 0.22 है०, 3795 रकबा 0.21 है० कुल किता 3 रकबा 0.59 हैक्टेयर के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 4 से 12 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं० 1 से 3 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदार की आराजीयात् किता 3 रकबा 0.59 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



१३

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

१३
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.